# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या 85/2017**

1. लवप्रीतसिंह पुत्र हरमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादी

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता वादी
2. पैराकार राज

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03.07.2017

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 6 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/92, मुरब्बा नम्बर 23, 24, 63/11 की कुल 5.985 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, वादी का सही नाम लवप्रीतसिंह है। मगर राजस्व रिकार्ड में लवप्रीतसिंह के स्थान पर नवप्रीतसिंह दर्ज हो गया है क्यों कि वादी को घर पर प्यार से नवप्रीत भी कहा जाता था, जबकि वादी का जन्म का नाम लवप्रीतसिंह है। जन्म प्रमाण पत्र की नकल शामिल है। इस प्रकार घरू नाम सहवन से पिता के देहान्त होनें पर पिता से विरास्त मं हमली उपरोक्त भूमि का इन्तकाल करते समय दर्ज हो गया जबकि हरमन्द्रसिंह के वास्तव में नवप्रीतसिह नाम का कोई पुत्र नहीं था बल्कि लवप्रीत सिंह को घर पर नवप्रीतसिंह कहा जाता था इसी कारण यह गल्ती हुई थी। जबकि वादी का नाम जन्म प्रमाण पत्र में लवप्रीतसिंह दर्ज है मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रमांक 2379/21.04.2010 में भी लवप्रीतसिंह पुत्र हरमन्दरसिंह दर्ज है। इसके अलावा उसकर माध्यमिक परीक्षा 2016 की अंकतालिका में भी नाम लवप्रीतसिंह दर्ज है जिसमें उसके मातापिता का नाम भी दर्ज किया हुआ है। तथा वादी की फोटो भी दर्शाई हुई है। वादी के नाम से भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड संख्या 8440 2014 7523 भी जारी किया हुआ है। जिस पर भी उसकी फोटो दर्शाई हुई है। तथा वादी के नाम से ड्राईविंग लाईसेन्स आरे जे 13 20150016560 भी बना हुआ है। इसके अलावा संरपच ग्राम पंचायत कालियां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2017 में भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि वादी का नाम लवप्रीतसिह है नवप्रीतसिंह व नवनप्रीतसिंह एक ही व्यक्ति है।

वादी अपनें उपरोक्त रकबा में सुधार कार्य करवाना चाहता है। मगर राजस्व रिकार्ड में नाम सही दर्ज ना होनें से व अन्य उपरोक्त समस्त रिकार्ड में मेल ना खाने के कारण वादी को सुधार कार्य करवानें में बाधा पैदा हो रही है। अतः वादी के लिये चक 6

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वाई के खाता संख्या 13/92 की उपरोक्त भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाना तथा नाम की दुरूस्ती करवाकर नवप्रीतसिंह के स्थान पर लवप्रीतसिंह दर्ज करवाना अथवा लवप्रीतसिंह उर्फ नवप्रीतसिंह दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है जिससे की वादी सुधार कार्य करवा सके तथा अपनी भूमि का उचित लाभ उठा सके।

उपरोक्त खाता की भूमि में जिन अन्य काश्तकारों के नाम दर्ज है क्योंकि उनकी भूमि में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिये वह आवश्यक पक्षकार नहीं है।

वादी नें प्रतिवादी से बार आर आग्रह किया कि वह वादी को चक 6 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/92 मुरब्बा नम्बर 23, 24, 63/11 की कुल 5.985 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए नवप्रीतसिंह के स्थान पर लवप्रीतसिंह दर्ज करें मगर प्रतिवादी टालमटोल करते हुए दिनांक 05.06.2017 को इन्कारी करते हुए स्पष्ट कहा कि उपजिलाधीश सक्षम न्यायालय के आदेश लानें पर ही आवश्यक दुरूस्ती हो सकेगी अतः यही बिनाय मुखासमत है। तथा दावा हाजा लाना आवयक हो गया है

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है, कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 6 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/92 मुरब्बा नम्बर 23, 24 व 63/11 की कुल 5.985 हैक्टर के 1/3 हिस्सा का वादी लवप्रीतसिंह पुत्र हरमन्द्रसिंह को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करनें नवप्रीतसिह के स्थान पर लवप्रीतसिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राज द्वारा हल्कस पटवारी की रिपोर्ट को पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 6 वाई सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 13 में प्रार्थी का नाम नवप्रीतसिंह पुत्र हरमन्दरसिंह दर्ज है जो कि उक्त रकबा विरास्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय दर्ज हुआ था नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम नवप्रीतसिंह दर्ज हुआ था जो कि आदिनांक तक चल रहा है।

प्रार्थी के जन्म प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाणपत्र जाति प्रमाण पत्र एवम् दसवी के अंकतालिका आधार कार्ड व ड्राईविग लाईसेन्स तथा ग्राम पंचायत कालिया सरपंच व ग्राम पंचायत में पुछताछ के आधार पर प्रार्थी का सही नाम लवप्रीतसिंह पुत्र हरमन्द्रसिंह है। लवप्रीतसिंह व नवप्रीतसिंह के नाम एक ही व्यक्ति के है।

वादी द्वारा अपनें वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य सरंपच ग्राम पंचायत कालियां द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा अपनी माता कुलविन्द्र कौर पत्नि स्व. हरमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कालियां का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करवाया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता नें अपनें वादपत्र को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

# –:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत चक 6 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/92 में नवप्रीत सिंह के स्थान पर लवप्रीतसिंह की दुरुस्ती जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत नवप्रीतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर लवप्रीतसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 03.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लाधुवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर